



- आपको सूचित किया जाए कि आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं।
- आपको कम से कम अपने किसी एक दोस्त, जानने वाले या रिश्तेदार को अपनी गिरफ्तारी एवं अपनी हिरासत की जगह के बारे में सूचना देने का अधिकार है।
- आपको किसी वकील से सलाह लेने और किसी वकील से प्रतिनिधित्व कराने का भी अधिकार है।
- अगर आप कोई वकील करने में सक्षम नहीं हैं तो आपको मुफ्त कानूनी सहायता के लिए माँग करने का अधिकार है। जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तब उनसे इस कानूनी सहायता की माँग करें।
- आपको हथकड़ी नहीं लगायी जा सकती। लेकिन यदि आप गिरफ्तारी का विरोध करते हो, उस स्थिति में आपके खिलाफ बल प्रयोग किया जा सकता है।
- आपकी गिरफ्तारी के 24 घंटों के अन्दर, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा और यदि देर होती है तो आप अपनी पेशी पर जोर दे सकते हैं।
- आपको सूचित किया जाए कि आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं।
- आपको कम से कम अपने किसी एक दोस्त, जानने वाले या रिश्तेदार को अपनी गिरफ्तारी एवं अपनी हिरासत की जगह के बारे में सूचना देने का अधिकार है।
- आपको किसी वकील से सलाह लेने और किसी वकील से प्रतिनिधित्व कराने का भी अधिकार है।
- अगर आप कोई वकील करने में सक्षम नहीं हैं तो आपको मुफ्त कानूनी सहायता के लिए माँग करने का अधिकार है। जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तब उनसे इस कानूनी सहायता की माँग करें।
- आपको हथकड़ी नहीं लगायी जा सकती। लेकिन यदि आप गिरफ्तारी का विरोध करते हो, उस स्थिति में आपके खिलाफ बल प्रयोग किया जा सकता है।
- आपकी गिरफ्तारी के 24 घंटों के अन्दर, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा और यदि देर होती है तो आप अपनी पेशी पर जोर दे सकते हैं।
- यदि आप पर जमानती जुर्म का आरोप लगाया गया है, तो आपका अधिकार है कि आपको जमानत पर छोड़ा जाये।
- यदि आप पर गैर जमानती जुर्म का आरोप है तो आपको अपनी जमानत के लिए मजिस्ट्रेट के सामने या अदालत में अपील करने का अधिकार है।
- गिरफ्तारी के समय आपको अपनी डॉक्टरी जाँच कराने का अधिकार है। आपके शरीर में मौजूद घाव के निशानों का रिकार्ड होना चाहिए।
- हिरासत में हर 48 घंटे पर आपको अपनी डॉक्टरी जाँच कराने का अधिकार है।
- पूछताछ के दरमियान आपको अपने वकील से मिलने का भी पूरा अधिकार है।
- पुलिस आप पर अपने खिलाफ कोई सबूत पेश करने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती है। इसलिए आप पूछताछ के दौरान खामोश रह सकते हैं।
- आपको हथकड़ी नहीं लगायी जा सकती। लेकिन यदि आप गिरफ्तारी का विरोध करते हो, उस स्थिति में आपके खिलाफ बल प्रयोग किया जा सकता है।
- आपकी गिरफ्तारी के 24 घंटों के अन्दर, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा और यदि देर होती है तो आप अपनी पेशी पर जोर दे सकते हैं।
- यदि आप पर जमानती जुर्म का आरोप लगाया गया है, तो आपका अधिकार है कि आपको जमानत पर छोड़ा जाये।
- यदि आप पर गैर जमानती जुर्म का आरोप है तो आपको अपनी जमानत के लिए मजिस्ट्रेट के सामने या अदालत में अपील करने का अधिकार है।
- गिरफ्तारी के समय आपको अपनी डॉक्टरी जाँच कराने का अधिकार है। आपके शरीर में मौजूद घाव के निशानों का रिकार्ड होना चाहिए।
- हिरासत में हर 48 घंटे पर आपको अपनी डॉक्टरी जाँच कराने का अधिकार है।
- पूछताछ के दरमियान आपको अपने वकील से मिलने का भी पूरा अधिकार है।
- पुलिस आप पर अपने खिलाफ कोई सबूत पेश करने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती है। इसलिए आप पूछताछ के दौरान खामोश रह सकते हैं।
- आपको हथकड़ी नहीं लगायी जा सकती। लेकिन यदि आप गिरफ्तारी का विरोध करते हो, उस स्थिति में आपके खिलाफ बल प्रयोग किया जा सकता है।
- आपकी गिरफ्तारी के 24 घंटों के अन्दर, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा और यदि देर होती है तो आप अपनी पेशी पर जोर दे सकते हैं।